छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
-:: मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ::-

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 9-8/2022/तक.शि./42 दिनांक 13.04.2022

''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार, एतद् द्वारा, सहायता न पाने वाली निजी तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाती हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम :** ये नियम ''छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों हेतु प्रवेश नियम 2022'' कहलायेंगे । इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश नियम' कहा गया है ।

2. **प्रयोजनीयताः** ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय से अनुमोदित/संबंद्ध/संघटक एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त तकनीकी संस्थाओं तथा इन संस्थाओं में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगें । यही नियम तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय संस्थाओं, स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं तथा शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

3 **परिभाषायें** :- इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

(1) **'प्रवर्ग'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (एस.टी.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग (ओ.बी.सी.) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) और जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता है, उसे अनारक्षित प्रवर्ग माना जायेगा ।

(2) **'व्यापम'** से अभिप्रेत है, 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल', अटल नगर, रायपुर ।

(3) **'सक्षम प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

(4) **'प्राचार्य'** से अभिप्रेत है, संस्था प्रमुख अथवा संस्था का प्रभारी।

(5) **'छत्तीसगढ़'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।

(6) **'अभातशिप'** से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।

(7) **'संचालक'** से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।

(8) **'अभ्यर्थी'** से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है।

(9) **'वर्ग'** से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं 'निःशक्तता से बाधित वर्ग' और इनमें से जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा।

(10) **'अल्पसंख्यक संस्था'** से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित तथा प्रशासित की गई हो एवं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की गई हो।

(11) **'निजी संस्था'** से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो ओर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(12) **'पी.ई.टी.'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।

(13) **'पी.पी.एच.टी.'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा बी.फार्मेसी, डी.फार्मेसी एवं बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री फार्मेसी टेस्ट।

(14) **'जे.ई.ई (मेन)'** से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ज्वाइंट इंट्रेन्स एक्जामिनेशन।

(15) **'जे.ई.ई (मेन) पेपर-2'** से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा बी.आर्क पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ज्वाइंट इंट्रेन्स एक्जामिनेशन।

(16) **'पी.पी.टी.'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।

(17) **'डिप्लोमा इंजीनियरिंग'** से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रम।

(18) **'प्री-एम.सी.ए.'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट।

(19) **'निमसेट'** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, एनआईटी एम.सी.ए. कॉमन इंट्रेन्स टेस्ट।

(20) **'जी.ए.टी.ई.'** से अभिप्रेत है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग।

(21) **'जी.पी.ए.टी.'** से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूट टेस्ट।

(22) **'सी.एम.ए.टी.'** से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट।

(23) **'एम.ए.टी.'** से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, मैनेजमेंट एप्टीट्यूट टेस्ट।

(24) **'सी.ए.टी.'** से अभिप्रेत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन एडमिशन टेस्ट।

(25) **'एक्स.ए.टी.'** से अभिप्रेत है, जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिलं भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, जेवियर एप्टीट्यूट टेस्ट।

(26) **'ए.टी.एम.ए.'** से अभिप्रेत है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, एआईएमएस टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन।

(27) **'नाटा'** से अभिप्रेत है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडीज इन आर्किटेक्चर द्वारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय एप्टीट्यूट परीक्षा, नेशनल एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्चर ।

(28) **'प्रायोजित अभ्यर्थी'** से अभिप्रेत, उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/केन्द्र शासन/किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम दो वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दी गयी हो।

(29) **'टी.एफ.डब्ल्यू'** से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की ट्यूशन फी वेव्हर योजना।

(30) **'काउंसिलिंग समिति'** से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों के कोटा का निर्धारण -

(i) बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर आफ आर्किटेक्चर एवं मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष की सीटों को निम्नानुसार चार प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ1	OSQ1	MQ1	MINQ1
निजी संस्थायें	75	10	15	निरंक
किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़	80	10	10	निरंक
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा	75	10	15	निरंक
शासकीय संस्थायें	100	निरंक	निरंक	निरंक
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थायें	100	निरंक	निरंक	निरंक
निजी अल्पसंख्यक संस्थायें	50	निरंक	निरंक	50

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ1) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु शासकीय संस्थानों एवं शासकीय विश्वविद्यालय संस्थानों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी., पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए. की मेरिट के आधार पर होंगे।

(2) अन्य राज्य कोटा (OSQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने पर इसे आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश जे.ई.ई.(मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा, निमसेट की मेरिट के आधार पर होंगे।

(3) मैनेजमेंट कोटा (MQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./जे.ई.ई.(मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए./निमसेट के मेरिट के आधार पर होंगे । इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(4) अल्पसंख्यक कोटा (MINQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./जे.ई.ई.(मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए./निमसेट के मेरिट के आधार पर होंगे । इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(ii) डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष की सीटों को निम्नानुसार दो प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ2	MQ2
निजी संस्थायें	85	15
शासकीय संस्थायें	100	निरंक

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ2) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे । इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.टी. की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे।

(2) मैनेजमेंट कोटा (MQ2) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे । इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.टी. की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे । इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(iii) एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मेसी, एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की सीटों को निम्नानुसार कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	ME/MTech		M.Pharmacy		MBA	
	CGQ3	SQ3	CGQ3	MQ3	CGQ3	MQ3
निजी संस्थायें	75	25	85	15	85	15
शासकीय संस्थायें	75	25	100	निरंक	100	निरंक
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थायें	75	25	100	निरंक	100	निरंक
निजी अल्पसंख्यक संस्थायें	75	25	-	-	-	-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ3) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु शासकीय संस्थानों एवं शासकीय विश्वविद्यालय संस्थानों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे।

(2) प्रायोजित कोटा (SQ3) :- इस कोटे के अंतर्गत केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। निवास का बंधन नहीं है। इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस कोटे में प्रवेश के लिए शेष सभी नियम लागू रहेंगे।

(3) मैनेजमेंट कोटा (MQ3) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए शेष संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(iv) इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी स्नातक पाठ्यक्रमों में द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एण्ट्री सीटों को निम्नानुसार कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ4	MQ4	MINQ4
निजी संस्थायें	85	15	निरंक
किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़	100	निरंक	निरंक
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा	85	15	निरंक
शासकीय संस्थायें	100	निरंक	निरंक
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थायें	100	निरंक	निरंक
निजी अल्पसंख्यक संस्थायें	50	निरंक	50

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ4) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु शासकीय संस्थानों एवं शासकीय विश्वविद्यालय संस्थानों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे।

(2) मेनेजमेंट कोटा (MQ4) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र हैं। इस कोटे में प्रवेश के लिए संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(3) अल्पसंख्यक कोटा (MINQ4) :- इस कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(v) डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एण्ट्री सीटों को निम्नानुसार दो प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ5	MQ5
निजी संस्थायें	85	15
शासकीय संस्थायें	100	निरंक

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ5) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे ।

(2) मेनेजमेंट कोटा (MQ5) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे । इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(vi) डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन एण्ड अपेरल डिजाईन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशीप एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष की सीटों को निम्नानुसार दो प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ6	MQ6
निजी संस्थायें	85	15
शासकीय संस्थायें	100	निरंक

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ6) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे । इस कोटे पर प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे।

(2) मैनेजमेंट कोटा (MQ6) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे । इस कोटे पर प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे । इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(vii) कोई संस्था स्वेच्छा से मेनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण एवं परिवर्तन कर सकती है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

(ब) आवंटन क्रम

(1) इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बी. आर्क एवं एम.सी.ए. संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की सीटों को सबसे पहले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अन्य राज्य कोटा के अंतर्गत जे.ई.ई. (मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा, निमसेट के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जाएगा। सीट रिक्त रहने पर रिक्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(2) इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य कोटा की सीटों तथा उपरोक्तानुसार बिंदु (01) की शेष रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से पी.ई.टी., पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए. परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जाएगा।

(3) तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर इंजीनियरिंग संस्थाओं की सीटो पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को पहले पी.ई.टी. परीक्षा के आधार पर तत्पश्चात् जे.ई.ई. (मेन) परीक्षा की मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा।

(4) इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को इंजीनियरिंग संस्थाओं की सीटो पर पहले पी.ई.टी. परीक्षा के आधार पर तत्पश्चात् जे.ई.ई. (मेन) परीक्षा की मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा।

(5) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम 7.3 के प्रावधानो के अनुसार दिया जायेगा।

(6) सामान्यतः प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की प्रक्रिया एक से अधिक चरणों में होगी।

(स) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले तकनीकी संस्थाएं, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता तथा शर्तें :-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की website- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर प्रत्येक अकादमिक सत्र के लिए काउंसलींग की प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व दर्शाई जावेगी।

(2) इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी संस्थाओं के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों की 10 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों के साथ साथ प्रथम वर्ष में रिक्त रह गई सीटों पर लेटरल एण्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकेगा।

(3) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. संस्थाओं को रु. 1000/- एवं प्रत्येक निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को रु. 500/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कॉशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कॉशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रकिया से बाहर रखना, यह काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा । यह काशन मनी संस्थाओं द्वारा ट्यूशन फी वेव्हर योजना के परिपालन एवं छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा काशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही संचालनालय के द्वारा की जा सकती है।

(4) एम.ई/एम.टेक के लिए प्रायोजित अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों में से विषयवार/ब्रांचवार एवं संस्थावार 18/20 सीटों पर 5 सीटें, 24 सीटों पर 6 सीटें, 36 सीटों पर 9 सीटें आरक्षित रहेंगी । तथापि प्रायोजित सीटें नहीं भरने पर इसे अप्रायोजित अभ्यर्थी से जी.ए.टी.ई. के माध्यम से भरा जा सकेगा। इसी प्रकार यदि अप्रायोजित अभ्यर्थी से जी.ए.टी.ई. के माध्यम से सीट नहीं भरती है, तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

(5) शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं की संपूर्ण सीटें केवल महिला उम्मीद्वारों के लिये ही आरक्षित है।

5 **सीटों का आरक्षण :-** संस्थाओं में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों पर आरक्षण ऐसा होगा जैसा कि समय-समय पर इस संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए। आरक्षित सीटों के बटवारे की जानकारी कांउसिलिंग के समय वेबसाईट पर दी जायेगी। विभिन्न वर्ग एवं प्रवर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था यथा संभव ब्रांचवार/संस्थावार की जायेगी । आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित प्रतिशत के आधार पर सर्वप्रथम ब्रांचवार की जायेगी परंतु इससे यदि संस्थावार आरक्षण असंतुलित होता है तो इसे यथासंभव संतुलित करने के लिये ब्रांचवार आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है।

5.1 उर्ध्वाधर आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्गों के लिए :-
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेकनिक संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन, स्वशासी-स्ववित्तीय तथा निजी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए पाठ्यक्रमवार कुल स्वीकृत सीटों क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित रहेंगी।

छ.ग. राजपत्र में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-14 से निजी गैर-अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रमवार कुल स्वीकृत सीटों का क्रमशः 12 प्रतिशत, 32 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेगी। विशेष रुप से कमजोर जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होगी। विशेष रुप से कमजोर जनजातियों मे पहाड़ी कोरबा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजातियां शामिल है। इस संवर्ग के आवेदन अप्राप्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति संवर्ग से भरे जायेंगे। किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर, उन सीटों को शासकीय संस्थाओं में प्रचलित नियम के अनुसार अन्य या अनारक्षित वर्ग से भरा जायेगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में, निर्धारित 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक सीटों में आरक्षण नहीं रहेगा परंतु शेष सीटों के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षण रहेगा।

इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग (एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित) का अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है । यदि किसी एस.सी/एस.टी. अथवा ओ.बी.सी. प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट मिलती है तो उसे अनारक्षित में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा ।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित आरक्षण संबंधी नियमों एवं निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टीपः- (अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस प्रवेश नियम में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

5.2 क्षैतिज आरक्षण

'सैनिक वर्ग' 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं 'निःशक्तता से बाधित वर्ग' के अभ्यर्थियों के लिये :-

(1) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेकनिक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी.) हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः 'सैनिक', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' एवं निःशक्तता से बाधित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 एवं 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी । स्वशासी-स्ववित्तीय संस्थाओं एवं शासकीय विश्वविद्यालय संस्थाओं में केवल निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी के लिये ही 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण हैं । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निजी संस्थाओं में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा।

(2) एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मेसी, एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के लिए शासकीय संस्थाओं/शासकीय विश्वविद्यालय संस्थाओं में केवल निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होगी।

(3) लेटरल एण्ट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी।

5.2.1 सैनिक वर्ग

सैनिक वर्ग में, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से निःशक्तता से बाधित हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो, शामिल हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस प्रवेश नियम में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 (अ) में ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा ऑफिसर कमांडिंग द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है । इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप-6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा ।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये है उन्हें प्रवेश नियम के प्रारूप-3 (ब) में प्रमाण-पत्र जमा करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप-3 (स) एवं प्रारूप-6 दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टीपः (1) होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों अथवा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनकी संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नाती/नातीनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं ।

इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है। परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी, द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही इस संबंध में एक मात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा।

5.2.3 **निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण**

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक है एवं जो **नियम 6.2** के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय संस्था, शासकीय विश्वविद्यालय तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की स्वीकृत सीटों में 5 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा। यदि किसी ब्रांच में इस क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निःशक्तजनों को माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश की पात्रता नहीं है।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को :-

(1) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र एवं

(2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी इस आशय का पात्रता प्रमाण-पत्र कि वह संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करने होंगे। (दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।)

(3) यदि किसी निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुर्नवास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है।

5.2.4 **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण**

शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीन तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (एस.सी/एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित) के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। राज्य के कन्या पॉलीटेक्निकों की सभी सीटें कन्याओं हेतु आरक्षित हैं । प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। निजी संस्थाओं में महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नहीं है।

5.2.5 **बिना वर्ग**

जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती चारों वर्गों में से किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' का अभ्यर्थी माना जायेगा एवं उसे प्रवर्ग की ओपन सीट के विरूद्ध प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

5.2.6 **आरक्षण हेतु आवंटन का क्रम** :- काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षित सीटों के आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा।

(1) उर्ध्वाधर आरक्षण :- सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि किसी आरक्षित श्रेणी (एस.सी/एस.टी./ ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट आबंटित होती है तो उसे अनारक्षित सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी।

(2) क्षैतिज आरक्षण :- इस प्रक्रिया में सबसे पहले वर्ग विशेष जैसे सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तता से बाधित, महिला आदि आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा, जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये। तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का उसी प्रवर्ग में आबंटन किया जायेगा।

(3) उर्ध्वाधर आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थीयो के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे एस.सी/एस.टी./ओ.बी. सी. के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है।

(4) आरक्षित प्रवर्ग की सीट जो क्षैतिज आरक्षण के कारण सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थीयो के लिये आरक्षित हैं, यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा। इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा।

टीप : विभिन्न वर्ग एवं प्रवर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था यथा संभव ब्रांचवार/संस्थावार की जायेगी। आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम ब्रांचवार की जायेगी परंतु इससे यदि संस्थावार आरक्षण असंतुलित होता है तो इसे यथासंभव संतुलन करने के लिये ब्रांचवार आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है। सीट कम होने के कारण यह आवश्यक नहीं कि हर प्रवर्ग/वर्ग को हर ब्रांच की सीट मिले।

5.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग-

(1) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं, स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

(2) इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(3) किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो **''पहले आओ पहले पाओ''** के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा ।

(4) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे ।

(5) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्र. No. F.5-84/2012/AICTE/J&K/(Seats)/1016 दिनांक 8 नवंबर 2012 के दिशा निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर के निवासी छात्रों के प्रवेश के लिए प्रत्येक स्नातक इंजीनियरिंग संस्था में दो-दो सांख्येत्तर सीट उपलब्ध रहेगी। इस हेतु भी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रवेश 12 वीं की मेरिट के आधार पर होगा।

6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

6.1 शैक्षणिक अर्हता

(अ) विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि एवं उनमें प्रवेश की पात्रता के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार तालिका में दी गई है।

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (वर्ष में)	शैक्षणिक अर्हता
बैचलर आफ इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी (बी.ई./ बी.टेक.)	4	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिशिष्ट-3 में दर्शित अनिवार्य तीन विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। टीपः- तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची परिशिष्ट- '1' में दी गई है।
बैचलर आफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क)	5	अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । तीनों मुख्य विषयों यथा भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

		अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अथवा 10वीं के पश्चात गणित विषय सहित तीन वर्ष का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं पृथक से आर्किटेक्चर में एप्टीट्यूट टेस्ट नाटा क्वालीफाइड होना अनिवार्य है ।
मास्टर आफ इंजीनियरिंग /टेक्नोलॉजी (एम.ई./एम.टेक.)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई./बी.टेक.) अथवा समुचित विषय में समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टीपः- समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा एवं समुचित विषय की सूची परिशिष्ट- '2' में दी गई है।
मास्टर आफ फार्मेसी (एम.फार्मेसी)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में चार वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 50 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
मास्टर आफ बिसनेस एडमिनिशट्रेशन (एम.बी.ए.)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में कम से कम तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा पॉच वर्षीय इंटीग्रेटेड उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बीसीए/कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अथवा 10+2 (12वीं) अथवा स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बीएससी/बी.कॉम/बीए संकाय/विषय में तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार अतिरिक्त सेतु कोर्स सहित)। गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :- बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।
डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)	3	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित अन्य समकक्ष परीक्षा (हाई स्कूल परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ) सामान्य वर्ग के लिये कम से कम 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10 वीं कक्षा की परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

बैचलर आफ फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी (बी. फार्मेसी एवं डी. फार्मेसी)	4/2	चार वर्षीय बी.फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रम एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं रसायन सहित गणित/ जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय में से किसी एक विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों में जैसेः- भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी.फार्मेसी में प्रवेश के लिए 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।
डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा इन फैशन एण्ड अपेरल डिजाईन, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशीप (सी.डी.डी.एम./आई.डी./एफ.ए.डी./ए.ए.)	3	माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट (एम.ओ.एम.), डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी (एच.एम.सी.टी.) डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन (एम.सी.)	3	माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय समूह में अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.ए.)	3	माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन तथा गणित विषय समूह में अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भौतिक, रसायन एवं गणित विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
बेचलर आफ इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	3	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ के साथ बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 12 वीं में गणित विषय में

		उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी.एस.सी. अभ्यर्थियों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब डिप्लोमा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों। टीप :- बी.एस.सी. स्नातकों को संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार इंजीनियरिंग ड्राईंग, वर्कशॉप, एप्लाइड मेकेनिक्स, बेसिक इंजीनियरिग आदि विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। डिप्लोमाधारी को भी संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार गणित, भौतिक, रसायन आदि एवं अन्य विषय को अतिरिक्त अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसकी जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
बैचलर आफ फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	3	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	2	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिशिष्ट-3 में दर्शित अनिवार्य तीन विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अथवा अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण एवं 2 वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT से जारी) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच/आर्किटेक्चर में अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण है, वे भी बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र हैं।

(स) यदि अर्हकारी परीक्षा (12वीं) की उत्तीर्ण की है परंतु अभ्यर्थी अनिवार्य विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो वह प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जायेगा, तथापि यदि वह संबंधित बोर्ड के नियमानुसार यदि कृपांक से भी उत्तीर्ण घोषित किया गया हो तो वह प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा।

(द) किसी वैधानिक संस्थान/राज्य शासन अथवा न्यायालय के आदेश से उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा होने पर इसकी सूचना पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

(क) उपरोक्त योग्यताऐं काउंसिलिंग/प्रवेश की तिथि से पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है। कांउसिलिंग की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग की पात्रता नहीं है। यदि वह निर्धारित परीक्षा, प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व, उत्तीर्ण कर लेता है तो वह प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड द्वारा कृपांक से उत्तीर्ण है, तो वह प्रवेश हेतु उत्तीर्ण होने की पात्रता को पूरा करता है। परंतु अर्हकारी/मेरिट अंक की गणना करते समय कृपांक के अंक को नहीं जोड़ा जायेगा।

(ग) अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।

(घ) अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी (जिनके पास छ.ग. राज्य का निवासी प्रमाण पत्र है, परंतु छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग का होने संबंधी जाति प्रमाण पत्र नहीं है) में आने वाले अभ्यथियों के लिए कोई आरक्षण अथवा योग्यता में छूट की व्यवस्था नहीं है। इन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुवे नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा ।

(ड) अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा।

(च) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अन्य राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में ऑफ कैम्पस/स्टडी सेन्टर तथा फ्रेन्चाईसी चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। इस तरह संचालित ऑफ कैम्पस/स्टडी सेन्टर तथा फ्रेन्चाईसी व्यवस्था अंतर्गत प्राप्त शैक्षणिक अर्हताएं राज्य में इजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मान्य नहीं है।

(छ) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.सी.ए./एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए दस्तावेज परीक्षण के समय दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के समक्ष संबंधित विश्वविद्यालय एवं ऑफ सेन्टर/स्टडी सेन्टर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश हेतु मान्य किया जावेगा।

(ज) इजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में डिप्लोमा/स्नातक/स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा/ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं/12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

(झ) इजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की आवश्यकता

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र **(प्रारूप-5)** के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा **प्रारूप-6** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा **प्रारूप-7** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को **प्रारूप-8** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6.2.1 अभिभावक की परिभाषा :-

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

6.2.2 दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :-

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (अॅडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के

लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

6.3 आयु सीमाः-

(अ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षणिक वर्ष की 01 जुलाई को आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

पाठ्यक्रम का नाम	अनारक्षित प्रवर्ग के लिए उच्चतम आयु सीमा	छत्तीसगढ़ के अनारक्षित प्रवर्ग के निःशक्तता से बाधित के लिए उच्चतम आयु सीमा	छत्तीसगढ़ के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रवर्ग एवं महिला के लिए उच्चतम आयु सीमा	छत्तीसगढ़ के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रवर्ग एवं महिला के निःशक्तता से बाधित के लिए उच्चतम आयु सीमा
बी.ई./बी.फार्मेसी./बी.आर्क.	30 वर्ष	35 वर्ष	33 वर्ष	38 वर्ष
डिप्लोमा इंजीनियरिंग/एम.ओ.एम./ सी.डी.डी.एम./आई.डी./ एच.एम.सी.टी./एफ.ए.डी./एम.सी. /आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशीप/ आर्किटेक्चर	30 वर्ष	35 वर्ष	33 वर्ष	38 वर्ष
डिप्लोमा फार्मेसी	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं
एम.सी.ए.	32 वर्ष	37 वर्ष	35 वर्ष	40 वर्ष
एम.ई./एम.टेक./एम.फार्म./एम.बी.ए.	40 वर्ष	45 वर्ष	43 वर्ष	45 वर्ष
बी.ई./बी.फार्मा. लेटरल (द्वितीय वर्ष)	32 वर्ष	37 वर्ष	35 वर्ष	40 वर्ष
डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल (द्वितीय वर्ष)	30 वर्ष	35 वर्ष	33 वर्ष	38 वर्ष

टीप :- पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु आनारक्षित प्रवर्ग के लिए उच्चतम आयु सीमा 27 वर्ष, छ.ग. के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रवर्ग एवं महिला के लिए उच्चतम आयु सीमा 30 वर्ष, निःशक्तता से बाधित अनारक्षित प्रवर्ग के लिए उच्चतम आयु सीमा 32 वर्ष एवं निःशक्तता से बाधित छ.ग. के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रवर्ग एवं महिला के लिए उच्चतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की जाती है।

(ब) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

7. सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा एवं मेरिट का निर्धारण

7.1 सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा-

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी और/अथवा सामान्य प्रवेश परीक्षा के परिणाम को प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिए उपयोग किया जायेगा। कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। प्रवेश में पात्रता के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक का प्रावधान किया जा सकता है। छ.ग. के आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियें के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी। विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश/अर्हकारी परीक्षा का नाम	अनारक्षित के लिए न्यूनतम प्राप्तांक (%)	छत्तीसगढ़ के एस.सी.,एस.टी., ओ. बी.सी. एवं निःशक्तता से बाधित के लिए न्यूनतम प्राप्तांक (%)
बैचलर आफ इंजीनियरिंग (बी.ई./बी. टेक.)	पी.ई.टी.	10	5
	जे.ई.ई. मेन	अंतिम एनटीए स्कोर 0 से अधिक	अंतिम एनटीए स्कोर 0 से अधिक
बी.ई.(बायोटेक्नोलॉजी)	पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी.	10	5
बैचलर आफ फार्मेसी (बी.फार्म)	पी.पी.एच.टी	10	5
बैचलर आफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क)	आर्किटेक्चर में एप्टीट्यूड टेस्ट नाटा	क्वालीफाईड इन नाटा	क्वालीफाईड इन नाटा
मास्टर आफ इंजीनियरिंग/टेकनालॉजी (एम.ई./एम.टेक.)	जी.ए.टी.ई.	0 से अधिक	0 से अधिक
मास्टर आफ फार्मेसी (एम.फार्मा.)	जी.पी.ए.टी.	0 से अधिक	0 से अधिक
मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिशट्रेशन (एम.बी.ए.)	सी.एम.ए.टी./ एम.ए.टी/सी.ए.टी./ एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए.	0 से अधिक	0 से अधिक
मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.)	प्री-एम.सी.ए. परीक्षा	10	5
	एन.आई.एम.सी.ई.टी.(नीमसेट)	0 से अधिक	0 से अधिक
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	पी.पी.टी.	0 से अधिक	0 से अधिक
	10वीं	35	उत्तीर्ण प्राप्तांक
डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा.)	पी.पी.एच.टी.	0 से अधिक	0 से अधिक
	12वीं (पी.सी.एम./पी.सी.बी.)	45	40
डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट (एम.ओ.एम.), डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी एवं डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन (एम.सी.)	12वीं	35	उत्तीर्ण प्राप्तांक
डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डेकोरेशन, फैशन एण्ड अपेरल डिजाईन, आकिटेक्चरल असिस्टेंटशीप	10वीं	35	उत्तीर्ण प्राप्तांक
डिप्लोमा इन आकिटेक्चर	12वीं (पी.सी.एम.)	35	उत्तीर्ण प्राप्तांक
बेचलर आफ इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	डिप्लोमा इंजीनियरिंग/ बी.एस.सी. (गणित विषय के साथ)	45	40
बेचलर आफ फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	डिप्लोमा फार्मेसी	45	40
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	आई.टी.आई./12वीं	उत्तीर्ण प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्राप्तांक

टीपः-

1. किसी वैधानिक संस्थान/राज्य शासन अथवा न्यायालय के आदेश से उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा होने पर इसकी सूचना पृथक से प्रकाशित की जायेगी।
2. बायोटेक्नोलॉजी की एक तिहाई सीट पी.पी.एच.टी. एवं दो तिहाई सीट पी.ई.टी. के माध्यम से भरी जायेगी। यदि पी.ई.टी. के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जा सकेंगी। उसी प्रकार यदि पी.पी.एच.टी. के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे पी.ई.टी. के आधार पर भरी जा सकेंगी।
3. प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए एम.ई./एम.टेक. में प्रवेश हेतु जी.ए.टी.ई. की बाध्यता नहीं है।
4. प्रवेश परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है।

7.2 प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा।

पाठ्यक्रम का नाम	अर्हकारी/प्रवेश परीक्षा का नाम	मेरिट का आधार
बैचलर आफ इंजीनियरिंग (बी.ई.)	पी.ई.टी.	पी.ई.टी. की परीक्षा में अभ्यर्थियों की गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र विषयों में प्राप्त सकल अंकों के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी- (1) गणित (2) भौतिकी (3) अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में बारहवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
	जे.ई.ई. मेन	जैसा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।
बैचलर आफ फार्मेसी (बी.फार्मा.)	पी.पी.एच.टी.	पी.पी.एच.टी. की परीक्षा मे अभ्यर्थियों की भौतिकी, रसायन, गणित/बायोलाजी विषयों में प्राप्त सकल अंको के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी- (1) रसायन (2) भौतिकी (3) अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में बारहवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
बी.ई. बायोटेक्नोलॉजी	पी.ई.टी./ पी.पी.एच.टी.	पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी. की परीक्षा मे अभ्यर्थियों की गणित/बायोलॉजी, भौतिक, रसायन विषयों में प्राप्त सकल अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी - (1) गणित/रसायन (2) भौतिकी (3) अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में बारहवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क.)	एप्टीट्यूड टेस्ट नाटा एवं 12वीं	आर्किटेक्चर में एप्टीट्यूड परीक्षा तथा 12वीं के परीक्षा में प्राप्तांको का प्रत्येक का 50-50 प्रतिशत अधिभार लेते हुये मेरिट सूची तैयार की जायेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी - (1) गणित (2) अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में बारहवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी (एम.ई./एम.टेक.)	जी.ए.टी.ई	निर्धारित संबंधित/समुचित विषय में जी.ए.टी.ई. परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में समान मेरिट/प्राप्तांक होने की स्थिति में पहले अर्हकारी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले को तथा यह भी समान होने पर फिर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
मास्टर ऑफ फॉर्मेसी (एम.फॉर्मेसी)	जी.पी.ए.टी.	जी.पी.ए.टी. के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में समान मेरिट/प्राप्तांक होने की स्थिति में पहले अर्हकारी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले को तथा यह भी समान होने पर फिर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
मास्टर आफ बिजनेस मेनेजमेंट एडमिनिसट्रेशन (एम.बी.ए.)	सी.एम.ए.टी./ एम.ए.टी/ सी.ए.टी./ एक्स.ए.टी./ ए.टी.एम.ए.	दो मेरिट सूची तैयार की जायेगी। 1. सी.एम.ए.टी के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर। 2. एम.ए.टी/सी.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए. को समतुल्य मानते हुये इनके प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर। प्रवेश में प्राथमिकता मेरिट सूची (1) के अभ्यर्थियों को सी.एम.ए.टी के आधार पर दी जायेगी, इसके पश्चात सीट रिक्त रहने पर मेरिट सूची (2) के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में समान मेरिट/प्राप्तांक होने की स्थिति में पहले अर्हकारी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले को तथा यह भी समान होने पर फिर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
मास्टर आफ कम्प्युटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.)	प्री.एम.सी.ए. /एन.आई.एम. सी.ई.टी.	प्री-एम.सी.ए. परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। समान प्राप्तांक होने पर निम्न क्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जावेगा - (1) गणित (2) कम्प्यूटर अवेयरनेस (3) एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग (4) जनरल अवेयरनेस के प्राप्तांक (5) अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में स्नातक में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। निमसेट के मामले में जैसा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा निधारित किया जाए।
डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)	पी.पी.टी. /10वीं	पी.पी.टी. की परीक्षा में अभ्यर्थियों की गणित एवं विज्ञान विषयों में प्राप्त सकल अंकों के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी -(1) गणित (2) अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में दसवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
डिप्लोमा फार्मेसी	पी.पी.एच.टी. /12वीं	पी.पी.एच.टी./12वीं में भौतिकी, रसायन, गणित/बायोलाजी में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची, तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी -(1) रसायन (2) भौतिकी (3) अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवेश में प्राथमिकता पीपीएचटी को दी जायेगी। तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर 12वीं (पी.सी.एम./पी.सी.बी. के प्राप्तांक) के कुल अंको के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल	12वीं	अभ्यर्थियों के अर्हकारी परीक्षा 12वीं के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर (प्रायोगिक प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा) प्रवर्गवार संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी।

मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी एवं डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन		समान प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निर्धारण करने के लिए उनके द्वारा प्रथम अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांकों (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक को मिलाकर) का प्रतिशत, द्वितीय अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
डिप्लोमा सी.डी.डी.एम. /आई.डी./ एफ.ए.डी./ए.ए.	10वीं	अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूची बनायी जायेगी। समान प्रतिशत होने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी ।
डिप्लोमा इन आकिटेक्चर	12वीं (पी.सी.एम.)	अभ्यर्थियों के 12वीं कक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों के संयुक्त प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूची बनायी जायेगी । समान प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी -(1) गणित (2) भौतिकी (3) अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में बारहवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
बेचलर आफ इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	डिप्लोमा इंजीनियरिंग/ बी.एस.सी.	अभ्यर्थियों के अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :- (1) समस्त विषयों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर कुल प्राप्तांक (2) अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता बी.एस.सी. अभ्यर्थियों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब डिप्लोमा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों।
बेचलर आफ फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	डिप्लोमा फार्मेसी	अभ्यर्थियों के अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :- (1) समस्त विषयों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर कुल प्राप्तांक (2) अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष)	आई.टी.आई. /12वीं	(1) आई. टी. आई. के आधार पर:- आई. टी. आई. प्रमाण पत्र के सामाजिक अध्ययन को छोड़कर शेष तकनीकी विषयों के कुल प्राप्तांकों (प्रेक्ट्रिकल एवं सेसनल सहित) के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। (2) 12वीं के आधार पर:- अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु 12वीं कक्षा के परिशिष्ट-3 में दर्शित अनिवार्य तीन विषयों के कुल प्राप्तांकों (प्रेक्ट्रिकल एवं सेसनल सहित) के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। 12वीं एवं आई. टी. आई. को एक समान मानते हुए एकजाई मेरिट सूची तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांकों वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

7.3 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पॉलीटेक्निक के लिए विशेष प्रावधान :-

सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर जिले स्थित शासकीय पालीटेक्निक एवं दंतेवाड़ा स्थित एन.एम.डी.सी. डी.ए.व्ही. पालीटेक्निक में प्रवेश हेतु संबंधित उसी जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(अ) डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु :-

(1) पहले संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को पीपीटी के प्राप्तांको के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जाएगा।

(2) तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 10 वीं के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जायेगा।

(3) तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को पीपीटी के प्राप्तांको के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जाएगा ।

(4) तत्पश्चात सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 10 वीं के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर दिया जायेगा ।

(5) फिर भी सीट रिक्त रहने पर पीपीटी के आधार पर केंद्रीय आनलाइन काउंसिलिंग द्वारा सीट भरी जायेगी।

स्पष्टीकरण :- आवेदन पीपीटी एवं 10वीं दोनों के आधार पर मंगाये जायेगें एवं मेरिट सूची एक साथ ही वर्गवार बनाई जायेगी जिसमें पीपीटी को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी सीट के लिए किसी वर्ग के पीपीटी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो उसे उसी वर्ग के 10वीं के अभ्यर्थी से भरा जाना चाहिए ततपश्चात ही सीट का परिर्वतन किया जाना चाहिए। 10वीं कक्षा के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूची 10वीं की परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषय में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी। समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी- (1) गणित (2) अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में दसवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ब) डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु :-

(1) पहले संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जाएगा।

(2) तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केंद्रीय ऑनलाइन काउंसिलिंग द्वारा सीट भरी जायेगी।

8 प्रवेश प्रक्रिया

8.1 कांउसिलिंग समितिः- विभिन्न संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कांउसिलिंग समिति द्वारा आनलाईन कांउसिलिंग करायी जायेगी। कांउसिलिंग समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी/राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) अध्यक्ष - संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
(2) सदस्य - अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
(3) सदस्य - प्राचार्य/प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
(4) सदस्य - प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
(5) सदस्य - छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा नामित प्रतिनिधि
(6) सदस्य - अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक (वित्त/कोर्ट), तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
(7) सदस्य सचिव - अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक (अकादमिक शाखा), तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

8.2 कांउसिलिंग कार्यक्रम की सूचनाः- विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की तिथियों की सूचना राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in तथा संबंधित पाठ्यक्रम के आनलाईन कांउसिलिंग की वेबसाईट में दी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी ।

8.3 काउंसिलिंग फीसः- विभिन्न पाठ्यक्रमों के आनलाईन कांउसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु. 200, स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रु. 300 एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम हेतु रु. 500 ऑनलाइन जमा करनी होगी।

8.4 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रियाः- प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व ऑनलाईन कॉउंसिलिंग की प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा संचालनालय की वेब साईट- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

8.4.1 सामान्य निर्देश :-

1. सीटों का आबंटन केन्द्रीय आनलाईन कांउसिलिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में एक सूचना पत्रिका संचालनालय के वेबसाईट- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in में तथा संबंधित पाठ्यक्रम के आनलाईन कांउसिलिंग हेतु तैयार किये गये वेबसाईट में प्रकाशित की जायेगी।
2. आबंटन से पूर्व अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का परीक्षण दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराना अनिवार्य है। इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है ।
3. कांउसिलिंग के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक संस्थानों को दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (डीवीसी) के रूप में कार्य करने हेतु चयनित/नियुक्त किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. अभ्यर्थी द्वारा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग का निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में प्रस्तुत करने में विफल होने पर उस अभ्यर्थी का प्रवर्ग/वर्ग को अनारक्षित/ओपन में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
6. दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाना है। इंटरनेट से प्राप्त की गयी अंकसूची/प्रमाण पत्र भी दस्तावेज परीक्षण हेतु स्वीकार किये जायेंगे।
7. यदि अभ्यर्थी ने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो अभ्यर्थी का प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
8. दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि अभ्यर्थी को लगता है कि अभ्यर्थी ने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिया हैं तो अपने आवेदन को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा ऑनलाईन कन्फर्म करने से पूर्व अभ्यर्थी इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा अभ्यर्थी आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

8.4.2 सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज की सूची निम्नानुसार है -

1. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
2. अर्हकारी परीक्षा जैसे- 10वीं/12वीं/स्नातक/डिप्लोमा/आई.टी.आई. मे जो लागू हो की अंकसूची ।
3. सामान्य प्रवेश परीक्षा जैसे- पी.ई.टी./जे.ई.ई/पी.पी.एच.टी/प्री.एम.सी.ए./नीमसेट/पी.पी.टी/ सी.एम.ए.टी./जी.ए.टी.ई./जी. पी.ए.टी./एम.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए./नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2 मे जो लागू हो की अंकसूची।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रासंगिक निर्धारित प्रारूप में।

8.4.3 छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग के होने के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
2. सैनिक वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ), 3(ब) या 3(स) में ।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए निर्धारित प्रारूप - 4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
4. निःशक्तता से बाधित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से एवं (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से उपयुक्तता प्रमाण पत्र।
5. बी.पी.एल. परिवार में आने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

टीपः- इनके अतिरिक्त निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहती है।

1. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

5. आधार कार्ड

यदि आवेदक के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आवेदक का प्रवर्ग एस.सी/एस.टी./ ओ.बी.सी. को परिवर्तित कर अनारक्षित कर दिया जायेगा एवं आवेदक का आबंटन अनारक्षित की मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर। उसी प्रकार यदि आवेदक के पास सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

8.4.4 यदि अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या दस्तावेज परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में द्वितीय अथवा उच्च चरण में दस्तावेज परीक्षण की अवधि के दौरान आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने पर उसे सीट आबंटन किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जिस चरण में वह उपस्थित होगा उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था/ब्रांच के आधार पर आबंटन किया जाएगा । यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अंतिम चरण के समय भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह किसी भी सीट/संस्था/ब्रांच में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा ।

8.4.5 गंभीर बीमारीः- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करता है, तो उसके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर दस्तावेज परीक्षण हेतु सम्मिलित हो सकेंगे । ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

8.4.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन मेरिट के आधार पर कर सकेंगे ।

8.4.7 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को अन्य प्रवर्ग में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक महाविद्यालय (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित कर भरा जाएगा।

8.4.8 एक बार अभ्यर्थी काउंसिलिंग के प्रथम या उच्च चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर प्रवेश लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत दस्तावेज परीक्षण करवाने पर उसकी वर्तमान सीट पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं वह सीट रिक्त सीट में जुड़ जायेगी ।

8.5 छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

(1) काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश रद्द करवाने हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश रद्द करवाने हेतु आवेदन करने पर बी.ई., बी./डी.फार्मेसी, बी. आर्क, एम.सी.ए., एम. टेक., एम. फार्मेसी एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 1000/- की तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 500/- की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।

(2) यदि अभ्यर्थी प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश रद्द करने हेतु आवेदन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी फीस वापसी हेतु योग्य नही होगा।

टीप :- छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त करने पर फीस वापसी के उपरोक्त बिंदु राज्य शासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिव्यूव पिटिशन क्रमांक REVP/70/2017 के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

8.6 आबंटन/प्रवेश के संबंध में विवाद निवारण की शक्ति- आबंटन/प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

8.7 प्रवेश की अंतिम तिथि : समस्त पाठ्यक्रमों में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष/ द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि सामान्यतः 15 अगस्त निर्धारित की जाती है। किसी न्यायालय, सांविधिक संस्था/शासन के आदेश/अधिसूचना के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि में परिर्वतन किया जा सकता है।

9. संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना - यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश/आबंटन पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र/संस्था की गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संचालनालय/संस्था द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

10. अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

11. छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

12. शिक्षण, विकास, विविध अन्य शुल्क तथा अवधान राशि :

(अ) शासकीय संस्थाओं के लिए :- जैसा शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(ब) स्वशासी स्ववित्तीय तथा निजी संस्थाओं के लिए :- "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के अंतर्गत गठित की गई "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" द्वारा प्रस्तावित/अनुशंसित एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा इस बावत् अधिसूचित शुल्क लागू होगी।

(स) लागू शुल्क संरचना/आदेश की जानकारी वेबसाईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in एवं काउंसिलिंग की संबंधित वेबसाईट में उपलब्ध रहेगी।

(द) लागू शुल्क को किसी राष्ट्रीय/अधिसूचित बैंक में संस्था के नाम से संचालित खाते में चालान, चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी बैंकिग उपकरण के माध्यम से जमा किया जाना चाहिये। शुल्क को नगद जमा नहीं किया जाना है।

13. ट्यूशन फी वेव्हर योजना एवं पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना :-

13.1. ट्यूशन फी वेव्हर योजना :- यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लागू होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू होगी। योजना की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी।
2. कांउसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तथापि अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्था में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश हुआ हो। यह सांख्येत्तर सीटों केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होगी, यदि विगत अकादमिक वर्ष में

संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो। अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण किया गया हो के अनुसार देय होगी।

3. यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है, और कुल प्रवेश 63 छात्रों का होता है तो 3 अभ्यर्थियों को TFW दिया जायेगा। किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है और उसमें 62 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 2 अभ्यर्थी ही फी वेव्हर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगा। तथापि कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी। ओपन, महिला, निःशक्तता से बाधित आदि कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आए उसे TFW देय होगी। शासकीय संस्थाओं में जहॉ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा।
4. इस हेतु छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक की विगत वित्तीय वर्ष की समस्त स्त्रोतों से आय रू. 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है। आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप से किसी अन्य प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया गया ऐसा आय प्रमाण-पत्र जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त स्त्रोंतो का उल्लेख हो मान्य किया जायेगा।
5. TFW स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा ही किया जाना है। प्रस्ताव संचालनालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी एवं द्वितीय सेमेस्टर से फीस नहीं ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् परिपालन (compliance) हेतु छात्रों को वापस किये गये रिफण्ड चेक की छाया प्रति एवं छात्रों की सूची भेजी जानी है।
6. TFW प्राप्त छात्र को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति रहेगी। तथापि संस्था/ब्रांच परिवर्तन पर या सीट छोड़ने पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी। रिक्त TFW सीट पर पात्रतानुसार प्रतीक्षा सूची की मेरिट से फी वेव्हर स्वीकृत किया जा सकता है।
7. एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये लागू होगी।
8. TFW जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है, तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी।
9. TFW के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगी, किंतु संस्था में ली जाने वाली अन्य फीस देय होगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13.2. **पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना :-** यह योजना उन अभ्यर्थियों की देखभाल के लिए है, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता दोनों खो दिए है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ''पीएम केयर्स सर्टिफिकेट'' जारी किया गया है, सांख्येत्तर कोटे के तहत् पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इस योजना में प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्था की प्रत्येक ब्रांच में दो सांख्येत्तर सीटें रहेंगी।

14 रैंगिंग

14.1 परिभाषाः- ''रैगिंग'' से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

14.2 **रैंगिंग का प्रतिशेधः-** किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

14.3 **दण्डः**-यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

14.4 **अपराधों का विचारण :-**

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण/निर्णय प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

14.5 **छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-**

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

15. विद्यार्थियों का स्थानांतरणः-

15.1 **एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण :-** चूंकि प्रथम वर्ष में तथा लेटरल एण्ट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेश मेरिट के आधार पर कांउसिलिंग द्वारा किया जाता है। अतः एक संस्था से दूसरे संस्था में स्थानांतरण/ब्रॉच परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। स्थानांतरण केवल 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तृतीय/पंचम सेमेस्टर में ही रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा संबंधित संस्थाओं की अनापत्ति के आधार पर किये जा सकते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

अनुसूची-ए

तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची :-

1. ईलेक्ट्रिानिक मेकेनिक
2. मेकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर
3. मेकेनिक इंडस्ट्रीयल ईलेक्ट्रानिक्स
4. मेकेनिक मशीन टूल मेनटेनेंश
5. मेकेनिक मेकाट्रानिक्स
6. आपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल्स
7. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
8. रिपेयर आफ रेडियो एण्ड टीवी
9. मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल रिपेयर
10. रिपेयर आफ ईलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाईन्सेस एण्ड ईलेक्ट्रिक मोटर रिवाईंडिंग
11. वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एण्ड फेब्रीकेशन
12. ईलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी
13. आटोमोबाईल टेक्नोलॉजी
14. स्ट्रक्चर एण्ड फेब्रीकेशन टेक्नोलॉजी
15. एयर कन्डीशनिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी
16. इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी

अनुसूची-बी

तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची :-

1. हेल्थ केयर एण्ड ब्यूटी कल्चर
2. आफ्थेल्मिक टेक्निक्स
3. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी
4. आक्सिलरी नर्सिंग एण्ड मिडवायफेरी
5. एक्स रे टेक्निशियन

परिशिष्ट – '2'

संबंधित/समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए संबंधित/समुचित विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं जी.ए.टी.ई. (GATE) के विषय

क्र.	एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम का नाम जिसमे प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम के ब्रांच/ विषय का नाम इंजीनियरिंग एवं साइंस	संबंधित/समुचित जी.ए.टी.ई. परीक्षा के विषय
1	सी.ए.डी.- सी.ए.एम. (रोबोटिक्स)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोड्क्सन इंजीनियरिंग/मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग/मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग/इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग/मेटलर्जी इंजीनियरिंग/मटेरीयल सांइस/एरोनोटीकल इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
2	कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल/ ईलेक्ट्रानिक्स/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/कम्प्युटर हार्डवेयर एण्ड साफ्ट वेयर इंजीनियरिंग/एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी. (ईलेक्ट्रानिक्स) /ए.ई.एण्ड आई.	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन./ ई.ई.
3	ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (डिजिटल ईलेक्ट्रानिक्स)	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल/ए.ई.एण्ड आई/एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./ आई.एन.
4	ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (इन्सट्रुमेंटेंशन एण्ड कंट्रोल)	एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इन्सट्रुमेंटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स/इन्सट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल	ई.सी./ आई.एन.
5	इनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग	कोई भी ब्रांच	कोई भी विषय
6	सिविल इंजीनियरिंग (स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग)	सिविल इंजीनियरिंग	सी.ई.
7	कम्प्युटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लीकेशन	कम्प्यूटर साईस/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/ एम.एस.सी. (सी.एस.)/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	सी.एस.
8	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (कम्युनीकेशन)	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स/एम.एस.सी. (ईलेक्ट्रानिक्स)/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड ईंस्ट्रुमेंटेशन	ई.सी./ आई.एन.
9	कम्प्यूटर एडेड डिजाईन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग /रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कन्डीसनिंग/ आटो मोबाईल इंजीनियरिंग / मेनुफेक्चरिंग/ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग /टूल एण्ड डाई मेकिंग/ड्रिलींग टेक्नोंलाजी/फेब्रीकेशन टेक्नोलॉजी एण्ड ईरेक्शन इंजीनियरिंग /मेकाट्रानिक्स/टेक्सटाईल इंजीनियरिंग /प्रीटींग टेक्नोलॉजी /पेपर टेक्नोलॉजी /शुगर टेक्नोलॉजी /प्लास्टीक टेक्नोलॉजी	एम.ई./ पी.आई./ टी.एफ.
10	थर्मल इंजीनियरिंग	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
11	पावर ईलेक्ट्रानिक्स	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स/ए.ई. एण्ड आई./ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /एम.एस.सी. (ईलेक्ट्रानिक्स)	ई.ई./ई.सी. /आई.एन.
12	वी.एल.एस.आई. एण्ड एमबेडेड सिस्टम डिजाईन/ वी.एल.एस.आई. डिजाईन	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंटेशन/ कम्प्यूटर साईस/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	ई.सी./ सी.एस./ आई.एन.

13	इनफरमेशन सिक्युरिटी	कम्प्यूटर साईस/ इनफरमेशन टेक्नोलॉजी/एम.एस.सी.(आई.टी.)	सी.एस.
14	साफ्टवेयर इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साईंस/इनफारेमेशन टेक्नोलॉजी/एम.एस.सी.(आई.टी.)	सी.एस.
15	मेकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाईन/मशीन डिजाईन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /ऐरोनॉटीकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
16	मेकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्सन इंजीनियरिंग)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /मटेरियल साईंस/मेनुफेक्चरिंग/ईन्डसट्रीयल इंजीनियरिंग /मेटेलर्जी इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई./ एम.टी.
17	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर सिस्टम इंजीनियरिंग) /ईलेक्ट्रीकल डिवाईसेस एण्ड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /पावर इंजीनियरिंग	ई.ई.
18	मशीन डिजाईन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /ऐरोनोटीकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
19	इनफारमेंशन टेक्नोलॉजी	कम्प्यूटर साईंस/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)	सी.एस.
20	इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग /इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /मेकाट्रानिक्स/आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /एरोनोटीकल इंजीनियरिंग /इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग /मेटलर्जी इंजीनियरिंग	एम.ई./ आई.एन./ पी.आई./ एम.टी.
21	ई.-सिक्युरीटी	कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी /कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड साफ्ट वेयर इंजीनियरिंग /एप्लाईड ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन.
22	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ एम.एस.सी.(ईलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./ आई.एन.
23	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन	एप्लाईड ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /एम.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)	ई.सी./ आई.एन.
24	इंडसट्रीयल ड्राईव्स एण्ड कन्ट्रोल	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग /पावर इलेक्ट्रानिक्स अथवा एप्रोप्रिएट डिसीप्लीन रिलेटेड टु इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	ई.ई.
25	कम्प्यूटर नेटवर्क	कम्प्यूटर साईंस/इनफारमेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इन्सट्रुमेनटेशन एण्ड कन्ट्रोल/इलेक्ट्रानिक्स/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड साफ्टवेयर इंजीनियरिंग /ए.ई.आई./ एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी.(ईलेक्ट्रानिक्स)	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन./ ई.ई.
26	साईबर फोरेसिंक एण्ड इनफारमेशन सिक्युरिटी	कम्प्यूटर साईंस/ इनफारमेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इन्सट्रुमेनटेशन एण्ड कन्ट्रोल/इलेक्ट्रानिक्स/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड साफ्टवेयर इंजीनियरिंग /ए.ई.आई./ एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी.(ईलेक्ट्रानिक्स)	सी.एस./ई.सी. /आई.एन./ ई.ई.

27	इनर्जी मेनेजमेंट	मेकेनिकल इंजीनियरिंग / आटोमोबाईल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग /इडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग /मेकाट्रानिक्स/एरानोटीकल इंजीनियरिंग	एम.ई.
28	पावर सिस्टम एण्ड कन्ट्रोल	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग /पावर इलेक्ट्रिानिक्स अथवा एप्रोप्रिएट डिसीप्लीन रिलेटेड टु ईलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	ई.ई.
29	इंडसट्रीयल सेफ्टी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /सिविल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / केमिकल इंजीनियरिंग/ मेटलर्जी इंजीनियरिंग /माइनिंग इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /प्रोडक्शन इंजीनियरिंग /इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग /पावर इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/एरानॉटीकल इंजीनियरिंग / इन्सट्रुमेनटेशन एण्ड कन्ट्रोल/ ए.ई.आई. इंजीनियरिंग /पावर सिस्टम इंजीनियरिंग /पावर ईलेक्ट्रिानिक्स/मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग	सी.ई./एम.ई. /ई.ई./ई.सी. /एम.टी./पी. आई./सी.एच. /एम.एन.
30	पावर ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /पावर इंजीनियरिंग	ई.ई.
31	ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग	सी.ई.
32	टर्बो मशीनरी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /एरोसेस्पेस इंजीनियरिंग /ऐरोनॉटीकल इंजीनियरिंग/ मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग/ इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग/ प्रोडक्सन इंजीनियरिंग/ मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग /मेरीन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई./ए.ई.
33	इलेक्टिकल पावर एण्ड एनर्जी सिस्टम	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर)/ ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर एण्ड आटोमेशन)/पावर इंजीनियरिंग/ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	ई.ई./ई.सी.
34	डाटा साईंस	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग/ इनफारमेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग/ एम.सी.ए. या एम.एस.सी./एम.एस. (सी.एस./आई.टी./मेथ्स/ स्टेटिस्टिक्स)	सी.एस./ ई.ई. /ई.सी./एम.ए.
		बी.ई./बी.टेक. की अन्य ब्रांच या समकक्ष	ई.ई./ ई.सी. /सी.एस.
35	डिजीटल कम्युनीकेशन	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग/ इनफॉरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/ईलेक्ट्रानिक्स एवं इन्सट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रिकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एम.एस.सी. (फिजिक्स/ईलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./आई. एन.
36	नेनो टेक्नोलॉजी	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / मेकेनिकल इंजीनियरिंग /मेटलर्जी /बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/ एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स/ इंजीनियरिंग फिजिक्स/ एम.एस.सी. (मेथ्स/बायोकेमेस्ट्री/माईक्रो बायोलॉजी)	ई.सी.ई./ ई.ई. /आई.एन. /एम.ए./एम.ई. /एम.टी./पी. एच./एक्स.ई. -सी./एक्स.ई. -एफ./एक्स. एल.-क्यू/एक्स. एल-एस.
37	हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या समकक्ष	ई.ई.

38	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साईंस	बी.ई./बी.टेक. की कोई भी ब्रांच या समकक्ष/एम.सी.ए./ एम.एस.सी./ एम.एस. (सी.एस./आई.टी./गणित/स्टेटिस्टिक्स)	संबंधित इंजीनियरिंग विषय
39	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्नीग	बी.ई./बी.टेक. की कोई भी ब्रांच या समकक्ष/एम.सी.ए./ एम.एस.सी./एम. एस. (सी.एस./आई.टी./गणित/स्टेटिस्टिक्स)	संबंधित इंजीनियरिंग विषय
40	जियोटेक्नीकल इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग/एम.एस.सी.(जियोलॉजी)	सी.ई./ जियोलॉजी
41	माईनिंग इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक. की माईनिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष	एम.एन.
42	बायो मेडिकल इंजीनियरिंग एण्ड बायो इनफारमेटिक	बी.ई./बी.टेक.-बायो मेडिकल/बायो टेक्नालॉजी/बायो इनफारमेटिक्स/ई.टी. एण्ड टी./सी.एस.ई./आई.टी./ई.ई./ई.ई.ई./ई.एण्ड आई. इन्स्ट्रुमेनटेशन इंजीनियरिंग/मेकाट्रानिक्स, एम.एस.सी. (इलेक्ट्रिानिक्स, सी.एस.ई. /आई.टी./बायो इनफारमेटिक्स/बायो टेक्नालॉजी/लाईफ साईंस/फीजिक्स/मेथ्स/केमेस्ट्री)	बी.टी./ई.सी. /सी.एस./पी. एच./एम.ए. /एक्स.एल. /सी.वाय
43	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंश एण्ड मशीन लर्निंग)	बी.ई./बी.टेक. समकक्ष/एम.सी.ए./एम.एस.सी./एम.एस. (सी.एस./आई.टी. /मेथमेटिक्स/स्टेटिक्स)	संबंधित इंजीनियरिंग विषय
44	एनर्जी एण्ड इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक./एम.एस.सी.(फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नालॉजी,इनवायरमेंट, इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग/बी.टेक. एग्रीकल्चर)	इंजीनियरिंग का कोई भी विषय/पी.एच. /सी.वाय./बी. टी./एक्स.एल. /ए.जी.
45	इनवायरमेंटल एण्ड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक. (सिविल इंजीनियरिंग/इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग/वाटर रिर्सोस इंजीनियरिंग/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या समकक्ष) एम.एस.सी. (इंजीनियरिंग)	सी.ई./ई.ई. /डब्लू.आर.ई. /ए.ई.
46	माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड वीएलएसआई	बी.ई./बी.टेक. इन इलेक्ट्रानिक्स/ई.सी.ई./ई.टी.सी./ई.ई.ई./ई.ई./ई.एण्ड आई./आई एण्ड सी./सी.एस.ई./सी.एस./आई.टी./मेकाट्रानिक्स/नेनो टेक्नालॉजी/मटेरियल साईंस इंजीनियरिंग/आई.ई.टी.ई./ए.एम.आई.ई. (ई.सी.ई. /सी.एस.ई./आई.टी./ई.ई.) एम.एस.सी.(फीजिक्स/इलेक्ट्रानिक्स/सी.एस./आई.टी. /इनफारमेटिक्स/इनफारमेशन साईंस)	ई.सी./पी.एच. /आई.एन./सी. एस./ई.ई.

टीप :- (1) समुचित तकनीकी विषयों को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
(2) किसी तकनीकी विषयों के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
(3) यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति/प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
(4) ईलेक्ट्रानिक्स, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन को समतुल्य माना जाएगा। एप्लाईड इलेक्ट्रिानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन, ईलेक्ट्रिानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन को समतुल्य माना जाएगा। इसी प्रकार फीजिक्स एवं एप्लाईड फीजिक्स तथा केमेस्ट्री एवं एप्लाईड केमेस्ट्री को समतुल्य माना जाएगा।
(5) एम.ई./एम.टेक. के किसी विषय में प्रवेश के लिए जी.ए.टी.ई. (गेट) के विभिन्न विषयों को समान मानते हुए प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जाएगा।

परिशिष्ट – '3'

बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष एवं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों की सूची

क्रमांक	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्र का नाम जिसमे प्रवेश लिया जाना है	(10+2) स्तर पर अनिवार्य विषय का नाम
1	एरोनाटिकल इजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, फायर एण्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मेरिन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनयरिंग मिलिटरी इंजीनियरिंग, माईनिंग इंजीनियरिंग, नेनो टेक्नालॉजी, न्यूकलियर साईंस एण्ड टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं गणित
2	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	भौतिकी, गणित एवं रसायन/कम्प्यूटर साईंस/ इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी /तकनीकी व्यावसायिक विषय/ एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज /एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 01 विषय
3	बायो टेक्नालॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी/जैवप्रौद्योगिकी/गणित में से कोई 01 विषय
4	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी/जैवप्रौद्योगिकी /गणित/ एग्रीकल्चर में से कोई 01 विषय
5	फूड इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल केमेस्ट्री	रसायन एवं भौतिकी/गणित/कम्प्यूटर साईंस/ इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/ एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/ एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 02 विषय
6	प्रिंटिंग इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं गणित/कम्प्यूटर साईंस/ इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/ एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/ एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 01 विषय
7	पैकेजिंग टेक्नालॉजी, फैशन टेक्नालॉजी	भौतिकी/रसायन/ गणित/कम्प्यूटर साईंस/ इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/ एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/ एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 03 विषय

टीप :–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 में दर्शित अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्र के अंतर्गत अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के तदनुरूपी पाठ्यक्रम मान्य होगे।

1. प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

(नियम 5.1)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण पत्र क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....पिता/पति का नाम ..... निवासी ग्राम/नगर .....पटवारी हल्का नं. ..... वि.खं. ..... तहसील .....जिला .....संभाग ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है अतः श्री/सुश्री ..... पिता/पति का नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है ।

दिनांक- .....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाय।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

(नियम 5.1)

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....आत्मज श्री ..... निवासी ग्राम .....जिला संभाग ..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो .....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री ..... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .....संभाग ..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक ..... को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... *क्रीमी लेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3 (अ)

(नियम 5.2.1)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) .....जो कि ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) ..... के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.....पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक..... था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में ..... पद पर सर्विस क्रमांक ..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष ..... में हो चुकी है।

स्थान .....
दिनांक .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (ब)

(नियम 5.2.1)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....(अभ्यर्थी के माता/पिता नाम) जो कि ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से ..... (स्थान) तहसील.....जिला.....छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान .....
दिनांक .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (स)

(नियम 5.2.1)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)जो कि ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल सेना/वायु सेना/नौसेना में ..... ओहदे पर सर्विस क्रमॉक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वह प्रतिरक्षा..... इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनॉक .....से सेवारत हैं ।

स्थान .....दिनांक .....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिग आफिसर

प्रारूप-4

(नियम 5.2.2)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमॉक.....पर पंजीकृत है ।

स्थान .....

दिनांक .....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी

पदनाम एवं सील

प्रारूप-5

(नियम 6.2)

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक ..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी .....निवासी.....

तहसील ..... व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह -

1/ **निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-**

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भीः-
   (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

   अथवा

   (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,
4. (क) वह स्वयं

   अथवा

   (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,
6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थातः-
   (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.
   (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.
   (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ **उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगेः-**

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

प्रारूप-6

(नियम 6.2)

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

क- जो छत्तीसगढ़ शासन के .....विभाग में.....पद पर.....तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन के .....विभाग में .....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.....

दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

(नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप-7

(नियम 6.2)

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक..... दिनॉक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय..... स्थान.....जिला.....में.....पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के.....विभाग

अथवा

भारत सरकार के .....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के .....अर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है ।

स्थान.....

दिनॉक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप-8

(नियम 6.2)

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री .....का/की/संतान है, जो.....योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान .....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप-9

(नियम 5.3)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक..... दिनॉक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान..... .....

दिनॉक..... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-10

(नियम 5.3)

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर

राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक..... दिनॉक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो ..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक.....से दिनॉक.....तक .....(स्थान का नाम) जिला.....में रही है ।

स्थान.....
दिनॉक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

प्रारूप-11

न्यायालय तहसीलदार, तहसील..... जिला ..... (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण-पत्र /

राजस्व प्रकरण क्रं..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पिता श्री ..... निवासी .....तहसील ..... जिला ..... (छ.ग.) का **31 मार्च 22.....** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू ..... शब्दों में .....रूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि..... के लिए जारी किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।